न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/132

अपीलान्ट–	बनाम	रेस्पोडेन्ट–
कन्हैयालाल वैष्णव पुत्र बद्रीदास जाति वैष्णव निवासी खिवाड़ा तहसील रानी जिला पाली बहैसियत पुजारी मूर्ति रघुनाथ जी वीके खिवाड़ा		1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील खिवाड़ा 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/05/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के द्वारा प्रकरण संख्या 97/2025 अनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का खिवाडा बनाम कन्हैयालाल में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा कस्वा खिंवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली के खसरा संख्या 296 क्षेत्रफल 0.0900 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा एवं खसरा संख्या 298 रकबा 2.8800 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कृषि भूमि मय बेरा स्थित है। खसरा संख्या 296 के वक्त प्रथम सेटलमेण्ट गत खसरा संख्या 357 व 358 मी. एवं खसरा संख्या 298 के गत खसरा संख्या 358 थे। गाम खिवाड़ा की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के खाता संख्या 150 में खसरा संख्या 358, खसरा संख्या 6, खसरा संख्या 159 व खसरा संख्या 357 कुल रकबा 108 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि मूर्ति श्री रघुनाथ जी की खुदकाश्त अंकित है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009–2028 के खाता संख्या 150 में यह दर्ज नहीं है। डोली यानि माफी भूमि एक तरह की जागीर भूमि थी जैसा कि Rajasthan land Reforms & Resumption of jagir Act 1952 की धारा 2(h) में परिभाषित है तथा उक्त डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथ जी इस अधिनियम की धारा 21 के तहत Resume कर ली गई और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1955 की धारा 10 के अनुसार उपरोक्त आराजी बाबत् मूर्ति श्री रघुनाथजी को By operation of Law खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। अर्थात् गत खसरा संख्या 358 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा मूर्ति श्री रघुनाथजी की खुदकाश्त की खातेदारी भूमि रही है। वर्तमान खसरा संख्या 296 गत खसरा संख्या 357 रकबा 0.01 बिस्वा व 358 रकबा 0.10 बिस्वा से एवं वर्तमान खसरा संख्या 298 रकबा 2.88 हैक्टेयर यानि 17 बीघा 16 बिस्वा गत खसरा संख्या 358 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से मिलकर बना है। अर्थात् गत खसरा संख्या 358 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा में से नये बने खसरा संख्या 396 एवं 298 का कुल रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा है। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल एवं द्वितीय सेटलमेण्ट सम्वत् 2041 से 2060 बनाते समय 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई जिससे मूर्ति श्री रघुनाथ जी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 296 व 298 में रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा की कम तरमीम की गई जबकी मौके पर पूर्व खातेदारी रकबा अनुसार कब्जा–काश्त कायम है। इसके अतिरिक्त प्रथम सेटलमेण्ट के गत खसरा संख्या 236 जिसके द्वितीय सेटलमेण्ट में नये खसरा संख्या 484 कायम किये गये। गत खसरा संख्या 358 व 357 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 236 समान्तर रास्ते के रूप में तरमीम है जबकि द्वितीय सेटलमेण्ट के बाद बने नक्शे में वर्तमान खसरा संख्या 296 व 298 के पूर्व दिशा में रास्ते के खसरा संख्या 484 की मोटाई बढा दी जाना, प्रथम दृष्टया साबित है। जिससे स्पष्ट है कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 358 का रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि रास्ते में ले ली है। इससे यह साबित है कि प्रार्थी ने मूर्ति श्री रघुनाथ जी की खातेदारी कृषि भूमि और बेरा के पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 484 गैर मुमकीन रास्ता भूमि में से रकबा 0.0026 हैक्टेयर भूमि पर कोई अतिक्रमण, निर्माण, अवरोध इत्यादि नहीं किया है और न ही करवाया है। प्रार्थी ने कृषि भूमि पर फसलों की रक्षा हेतु उक्त दिवार/तारबन्दी कर रखी है, जो करीबन 15 वर्ष पुरानी की हुई है जो आज भी मौके पर मौजुद है। प्रकरण के सम्बन्ध में उप तहसीलदार खिवांडा के आदेशानुसार हल्का पटवारी द्वारा द्वितीय भू बन्दोबस्त के दौरान हुई रकबा त्रुटि की जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि खसरा संख्या 298 के गत रकबे से रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खसरा संख्या 298 के राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज है। अतः राजस्व अधिकारीयों की टीम गठित कर खसरा संख्या 296 व 298 सहित गत खसरा संख्या 236 से बने वर्तमान खसरों का नाप चौक कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (SC) 208 State of Rajasthan vs Smt. Padmavati Devi (dead) by Lrs. & Ors., 1995 DNJ (SC) 211 M/S Garware Nylons Ltd vs Pimpri Chinchwad Mahanagar palika & Ors. माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त RRD May. 2006 page no. 278 Hukam singh & other vs State of Rajasthan & others विधिविरूद्ध तरीके से पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाने का निवेदन किया है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पक्की दिवार एवं तारबन्दी कर अतिक्रमण किया है जिसकी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किस्म गै.मु.सड़क है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी खिवाड़ा ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालम में पेश की, जिस पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील उप तहसीलदार खिवाड़ा के द्वारा प्रकरण संख्या 97/2025 अनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का खिवाडा बनाम कन्हैयालाल में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर आराजी खसरा संख्या 296 रकबा 0.09 हैक्टयर एवं 298 रकबा 2.88 हैक्टर गत खसरा संख्या 358 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से मिलकर बने है तथा द्वितीय सेटलमेण्ट सम्वत् 2041 से 2060 बनाते समय गत खसरा संख्या 358 से बने नये खसरा संख्या 298 व 296 में 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी और वह कम की हुई भूमि खसरा संख्या 484 गै.मु.सडक में सम्मिलित कर दी, जिससे अपीलाण्ट अपनी भूमि पर होते हुये भी रास्ते की भूमि पर दर्शित हो रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध द्वितीय भू–बन्दोबस्त के दौरान हुई रकबा त्रुटि की जांच बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार ग्राम खिवांडा की खतौनी बन्दोबस्त प्रथम सम्वत् 2009 से 2028 के खाता संख्या 150 में तदसमय खसरा संख्या 358 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 615 खसरा संख्या 288 कुल रकबा 2.8800 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वर्तमान खसरा संख्या 298 गत खसरा संख्या 358 से बना हुआ है एवं क्षेत्रफल अनुसार गत रकबे से 0.53 हैक्टेयर भूमि वर्तमान रेकर्ड में कम दर्ज है तथा रकबे में कमी होकर किस खसरे में इस भूमि का समायोजन हुआ है इसका निस्तारण भूमि बन्दोबस्त पत्रक से ही किया जा सकेगा। अधिवक्ता अपीलाण्ट के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार यह तो स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 358 से बने नये खसरा संख्या 298 व 296 में 2 बीधा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान रेकर्ड में कम दर्ज है। परन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन कि उक्त कम हुई भूमि खसरा संख्या 484 में सम्मिलित हो गई है प्रमाणित नहीं होता क्योंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट से जाहिर है कि क्षेत्रफल राजस्व रेकर्ड में कम दर्ज हुआ है लेकिन अधिशेष भूमि का समायोजन स्पष्ट नहीं है। इसलिये अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन कि कम हुई भूमि खसरा संख्या 484 में सम्मिलित होने की हद तक का प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का खिवांड़ा ने मौजा खिवांड़ा के खसरा संख्या 484 रकबा 0.0026 हैक्टर किस्म गै.मु.सड़क की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पक्की दीवार एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तारबन्दी कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार रानी के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार खिंवाड़ा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट कन्हैयालाल पुत्र बद्रीदास जाति वैष्णव निवासी खिंवाड़ा को दिनांक 05.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया, जो कि मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है साथ ही नोटिस में उल्लेखित किया कि 'आप दिनांक 21.02.2025 से पूर्व उक्त भूमि का खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 21.02.2023 को उप तहसील खिंवाड़ा अपरान्ह हाजिर होवे तथा यह हैतुक दर्शित करें कि आपकों यहां से बेदखल क्यों न किया जाये।' एवं मातहत अदालत की आदेशिका दिनांक 21.02. 202 से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट उपस्थित हुये और अपना जवाब पेश किया और निर्णय पारित किया गया। अर्थात् अपीलाण्ट को विधिवत् सुनकर निर्णय पारित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस निर्धारत प्रारूप में विधिनुसार, विधिवत तरीके से जारी किया गया तथा अप्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी को सुनकर निर्णय पारित किया गया, जो कि विधि सम्मत है।

इसके अतिरिक्त ग्राम खिंवाड़ा तहसील रानी के खसरा संख्या 484 रकबा 0.8300 किस्म गै.मु.सड़क की भूमि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है तथा मातहत न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 21.02.2025 के द्वारा अपीलाण्ट कन्हैयालाल वैष्णव को खसरा संख्या 484 रकबा 0.0026 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान रूपये 1 का 50 गुना जुर्माना अनुसार 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बदेखल करने के आदेश पारित किये। अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह भी उज्र था कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–प/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 के अनुसार अगर किसी के द्वारा डोली/मूर्ति की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हो तो ऐसे अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अमल में लाई जाने के निर्देश है परन्तु हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या 298 जो कि मन्दिर श्री रूगनाथ जी के नाम दर्ज है, के द्वारा गै.मु. सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जो कि उक्त परिपत्र में वर्णित प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. (13) 2006 पेज नम्बर 291 एवं आर.बी.जे. (9) 2002 पेज नम्बर 518 में दी गई फाईडिंग अनुसार जब कब्जा को लेकर अपीलार्थी का बोनाफाईड क्लेम हो तो ऐसे प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत समरी प्रोसिडिंग में बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया कि तहसीलदार द्वारा धारा 91 आर.एल.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आर. एक्ट के तहत कार्यवाही केवलमात्र अतिक्रमियों के विरूद्ध संस्थित की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 358 से बने नये खसरा संख्या 298 व 296 में 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान रेकर्ड में कम दर्ज है लेकिन अपीलार्थी का यह बोनाफाईड क्लेम कि उक्त कम हुई भूमि का समायोजन खसरा संख्या 484 किस्म गै.मु.सड़क में हुआ है यह प्रमाणित नहीं है और न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य पेश किये जिससे यह जाहिर हो सके कि उक्त भूमि का समायोजन खसरा संख्या 484 में हुआ हो। लिहाजा जब अधिवक्ता अपीलाण्ट का बोनाफाईड क्लेम प्रमाणित ही नहीं हो रहा है तो रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को खसरा संख्या 484 पर अतिक्रमी मानते हुये धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जो विधिनुरूप है। इसलिये उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण चस्पा नहीं होता है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (SC) 208 State of Rajasthan vs Smt. Padmavati Devi (dead) by Lrs. & Ors. अनुसार Sec. 91-applicability-Person in unauthorised occupation of Govt. land-No bonafide dispute to remain in occupation of the land-held, Sec. 91 is applicable. प्रश्नगत प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा धारित भूमि पर बोनाफाईड क्लेम के आधार पर कब्जा रहने का कोई वास्तविक आधार नहीं है इसलिये मातहत अदालत ने अनधिकृत कब्जे के आधार अपीलाधीन कार्यवाही की जो कि माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त के अनुरूप है। इसी तरह अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (SC) 211 M/S Garware Nylons Ltd vs Pimpri Chinchwad Mahanagar palika & Ors. नगरपालिका एक्ट एवं आयातित वस्तुओं पर भुगतान व सीमा शुल्क से सम्बन्धित होने से जैर प्रकरण पर लागु नहीं होती है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त RRC May, 2006 page 278 Hukam singh & anr. vs State of Raj. & ors. अनुसार Notiec issued exercising powers under section 91-land sold by panchayat to petitioners who are in possession on the basis of patta-held, possession not unauthorised- powers under section 91 can be ecercised only against trespassers-proceedings are without jurisdiction. परन्तु हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या 484 की आराजी न तो अपीलाण्ट को आवंटित की गयी थी और न ही अपीलाण्ट उक्त खसरे में बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेण्ट से राजकीय भूमि ही थी और इसी कारण रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलाण्ट को जैर आराजी पर अतिक्रमी मानते हुये 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्रवाई की है, इसलिये उक्त न्यायिक दृष्टान्त जैर अपील पर लागू नहीं होती है।

प्रकरण में यह तथ्य दृष्टिगोचर हुआ है कि अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को ग्राम खिंवाड़ा के खसरा नम्बर 298 की भूमि पर बतौर पुजारी काबिज होना जाहिर किया है। मंदिर भूमियों के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज–4/98/37 दिनांक 13.12.1991 को जारी किया गया है, जिसमें मंदिर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए है। उक्त परिपत्र में यह प्रावधित किया गया कि भविष्य में जो जमाबन्दी राजरव विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावे। प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर अलग से रखा जावे, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे। जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावी है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है, वहीं पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपराक्त वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिकार्ड के कॉलम में अंकित किया जावे। इस क्रम में यह पृथक जांच का विषय है कि परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना में तहसील स्तर पर संधारित रजिस्टर में उक्त आराजी में बतौर पुजारी किस व्यक्ति का नाम अंकित है ? इस सम्बन्ध में पृथक से जांच अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, 28 जनवरी, 2011 में न्यायालय ने यह कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करना संविधान के अनुच्छेद, 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, क्योंकि इससे समुदाय के अन्य सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा तथा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा खसरा संख्या 484 की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किये, जो कि विधिक प्रावधानों के अनुरूप एवं न्यायोचित है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त भी उक्त प्रकरण में की गई कार्रवाई का समर्थन करता है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा ग्राम खिंवाड़ा के गत खसरा संख्या 358 से बने नये खसरा संख्या 298 व 296 में 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना जाहिर किया है, यदि इस तथ्य प्रमाणित होता हो, तो अपीलाण्ट को उक्त त्रुटी को दुरूस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी थी, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जो इन तथ्यों की ताईद करता हो। वस्तुतः डोली भूमि के क्षेत्रफल में कमी की आड में बोनाफाईड क्लेम को आधार मानकर खसरा संख्या 484 किस्म गै.मु.सड़क की भूमि पर अतिक्रमण करना कतई उचित नहीं है। यह प्रमाणित तथ्य है कि अपीलाण्ट द्वारा गै0मु0 सड़क की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, यदि आमजन इसी प्रकार सड़क की भूमि पर कब्जा कर मार्ग को संकरा/अवरोधित करेंगे, तो आवागमन हेतु विकट समस्या उत्पन्न होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधि में प्रदत्त प्रावधानों का उपयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उप तहसीलदार खिंवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 97/2025 अनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का खिवाडा बनाम कन्हैयालाल में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। साथ ही तहसीलदार रानी को निर्देशित किया जाता है कि तहसील स्तर पर संधारित रजिस्टर अनुसार ग्राम खिंवाड़ा में स्थित मंदिर भूमि के पुजारियों के सम्बन्ध में जांच करें तथा यदि रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, तो परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुक्रम में कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति तहसीलदार रानी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली